



-:प्रेस नोट:-

दिनांक-02.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को 4100/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 4100/ रुपये के से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 465/22 धारा 13 जी एक्ट के अभियुक्त छोटका गर्ग उर्फ ऋषिकांत पुत्र ब्रजकिशोर निवासी गर्गपुरवा अंश अतर्रा ग्रामीण थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 100/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 46/16 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त 1. संतोष पुत्र रामगोपाल 2. राजरानी पुत्री रामगोपाल निवासीगण ग्राम तेराब थाना अतर्रा जनपद बांदा जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 319/21 धारा 279/338 भादवि के अभियुक्त बाबूलाल पुत्र मैयादीन निवासी मंझीवा थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।